23.5.18 पत्रावली पेश। [illegible] CPC [illegible] 14.6.18 को पेश हो।

14-6-18 [illegible] प्रा० पत्र [illegible] वास्ते [illegible] दि० 18.6.18 को पेश हो।

18.6.18 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रैस्पोडैन्ट संख्या-2 एवं रैस्पोडैन्ट संख्या-11 गोदाराम हेतु पेश:-

विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि रैस्पोडैन्ट संख्या-2 लक्ष्मण का देहान्त करीब 2-3 वर्ष पूर्व ग्राम हरितवालो की ढाणी में हो गया। जिसके स्थान पर उसके वारिसों को रेकार्ड पर लिया जावे तथा रैस्पोडैन्ट सं0-11 गोदाराम का देहान्त दिनांक 29-6-2018 को हुआ है जिसके

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ दफा=5 अवधि अधिनियम का भी पेश किया मुझे मृत्यु की जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र पेश किये जिनको जानकारी से अन्दर मियाद शुमार किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट नेरेस्पोडेन्ट संख्या-2 लक्ष्मणा का देहान्त 2-3 वर्ष पूर्व होना दर्ज किया है किन्तु दिनांक नहीं लिखा 2-3 वर्ष में भी कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना अपील अपने आप ही अबैट हो चुकी है अपीलान्ट ने अबैटमेन्ट को सैट असाईड करने का आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया तथा इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या-1। गोदाराम का देहान्त दिनांक 29-6-16 को होना बताया है जिसका प्रार्थना पत्र भी दिनांक 3-5-18 को 22 माह बाद पेश किया है इस प्रार्थना पत्र के साथ भी आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। अपीलान्ट की अपील ब अबैट हो चुकी है ।अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज कर अपील अबैट हो जाने से खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाइत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।रेस्पोडेन्ट संख्या-2 लक्ष्मणा की मृत्यु 2-3 वर्ष पूर्व होना बताया है जिसका प्रार्थना पत्र दिनांक 23-9-2014 को पेश किया है जिसके साथ दफा -5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किये तथा रेस्पो० सं०-1। गोदाराम का प्रार्थना पत्र भी 22 माह बाद पेश किया जिसमें भी दफा-5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें भी कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किये है। अपीलान्ट को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 90 दिन में पेश किया जाना चाहिये था यदि 90 दिन

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	किया जाना चाहिये किन्तु अपीलान्ट ने आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है जबकि अपीलान्ट के दोनो ही प्रार्थना पत्र 2-3 वर्ष एवं 22 माह बाद पेश किय है । जिससे अपील का उपशमन हो चुका है। उपशमन का सैटअसाईड कराने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा अपील का उपशमन हो चुका है ।प्रार्थना पत्र में विलम्ब भी क्षमा योग्य नहीं है ।अतः अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किये जाते हैं तथा अपील का उपशमन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय सुनाया गया । 18/6/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	